

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 53/Bwd/Efc.-10/15-16-~~2615~~ दिनांक: 10.8.15
2615

प्रेषक: बी० सी० निगम, भा० व० से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में अतिरिक्त राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी० टी० ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक - 7/यो० व०-24/2015-2026 व० प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं आपका कार्यालय ज्ञापांक 1622, दिनांक 8.07.2015।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में रु० 30,73,900/- की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी० टी० ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक- 7/यो० व०-24/2015-2026 व० प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BPAEFC/03-15-16/06EFC की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची

ज्ञापांक 2615

दिनांक 10.8.15

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखंड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

PCCF, JHARKHAND

घातु वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शेष के सामने प्रकृत राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPAEFC/03-15-16/06EFC

दिनांक - 07-Aug

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601101030101 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 . वन कृषि की स्थापना 01 . वेतन एवं भत्ता 01 . वेतन	53740	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	3,033,900.00 रुपये तीस लाख तीस हजार नौ स
2	N 19 240601101030213 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 . वन कृषि की स्थापना 02 . यात्रा भत्ता 13 . देश-विदेश यात्रा भत्ता	53741	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	15,000.00 रुपये पंद्रह हजार
3	N 19 240601101030315 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 . वन कृषि की स्थापना 03 . प्रशासनिक व्यय 15 . कार्यालय व्यय	53743	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	15,000.00 रुपये पंद्रह हजार

3,063,900.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तीस लाख तीस हजार नौ सौ

(B. C. NIGAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 7/8/2015

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	N 19 240601101030442 2406 . वानिकी तथा वन्य जंगल 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संयोजन 03 . वन कृषि की स्थापना 04 . मोटरगाड़ियाह / ईंधन 42 . मोटरगाडी ईंधन एवं मरम्मत	53744	PLMFOR003 MANOJ SINGH IFS R C C F PALAMU	10,000.00 रुपये दस हजार



योग:

10,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीस लाख तीसहजार हजार की सं

3,073,900.00

B. G. NIGAMI
PCCF, JHARKHAND RANCHI